16/2/2024 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में दर्ज भूमियों में प्रार्थी के नाम सहखातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का से भूमि की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम राजनगर पटवार हल्का गोडावास के खाता संख्या 101, 102, 134 के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगु राम की जगह जगला दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम जगु राम दर्ज है। मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार सभी दस्तावेजो में प्रार्थी का सही नाम जगु राम दर्ज है। बचपन में प्रार्थी को घर परिवार पर प्यार से जगला व जगू दौनो नाम से बुलाया जाता था इस कारण राजस्व रिकार्ड में सहवन से जगला नाम दर्ज हो गया। रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक एवं तहसीलदार जी नीमकाथाना ने भी अपनी रिपोर्ट में जगला व जगु दौनों नाम एक ही व्यक्ति के होना व जगला के स्थान पर जगु राम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं ग्राम राजनगर के खाता संख्या 101, 102, 134 में दर्ज जगला पुत्र किशना की बजाया जगु राम पुत्र किशना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज रिपोर्ट पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का एवं तहसीलदार नीमकाथाना का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी के खाता संख्या 101, 102, 134 ग्राम राजनगर में प्रार्थी का नाम जगला पुत्र किशना दर्ज है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का, भू0अ0निरीक्षक एवं तहसीलदार नीमकाथाना से जाहिर है कि जगला व जगु राम दौनो एक ही व्यक्ति के नाम है जिसका सही नाम जगु राम है। अतः प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेज, रिपोर्ट पटवरी हल्का, भू0अ0 निरीक्षक एवं तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते हैः—

राजस्व ग्राम	भूमि का विवरण	वर्तमान प्रविष्टि	अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि
राजनगर	खाता सं. 101, 102, 134	जगला पुत्र किशना	जगुराम पुत्र किशना

शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। तदनुसार दुरूस्ती हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner